न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
गृह फाइनेन्स बैक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी,1 फ्लोर सेन्ट्रल बैक आफ इण्डिया के ऊपर,महावीर कालोनी के सामने खेड़ रोड बालोतरा	बनाम्	1.गणपतलाल पुत्र बाबुलाल परमार निवासी पटवार भवन के पास बोहरों का वास पचपदरा 2.श्रीमती संतोष देवी पत्नि गणपतलाल परमार निवासी निवासी पटवार भवन के पास बोहरों का वास पचपदरा 3.मोहनलाल पुत्र रामगोपाल सोनी बोहरों का चौक होस्पीटल रोड, प्चपदरा, बालोतरा 4.ओमप्रकाश पुत्र भीकमचन्द निवासी वार्ड नं.15 बोहरों का चौक होस्पीटल रोड पचपदरा 5.पारसमल परमार पुत्र बाबुलाल निवासी पटवार भवन के पास पचपदरा

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एंव पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(The securitisation and Reconstruction of Financial Assts and Enforcement of Security InterestAct2002]

उपस्थितः– श्री राघवेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश दिनांक 18.07.2018

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एंव पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002(The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002] के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थी की बहस को सुना गया।
2. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को प्रार्थी बैक रूपये 11,60,666/–का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी संख्या 03 से 05 ने उक्त ऋण के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की बहैसियत जमानती जमानत दी थी। उक्त ऋण प्राप्त करते समय प्रार्थी बैक के पक्ष में ऋणी एंव जमानती द्वारा ऋण इकरारनामा आदि दस्तावेज अपने हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कर निष्पादित किये गये। अप्रार्थी 01 द्वारा इस ऋण के लिये बतौर अपने स्वामित्व की सम्पति जो पट्टा नम्बर 135 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पीछे पाल नाडी जोन सी,जोन सी पचपदरा में जिला बाड़मेर में स्थित है,,जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट है,प्रार्थी बैक के पास जरिये Mortgage by deposit of Title deed के बंधक रखा है, जो विलेखानुसार निम्न आस पड़ोस के मध्य स्थित है: उतर में बाबुलाल भीखमंचद घांची का मकान,दक्षिण में खालसा,पूर्व में चुनीलाल घांची का मकान व प्लाट का दरवाजा रास्ता गली एंव पश्चिम में नाडी पाल है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् ऋणी व जमानती ने ऋण इकरारनामा की शर्तो के अनुरूप ऋण खाते का संचालन नहीं किया है। ऋणी व जमानती ऋण इकरारनामा की शर्तो की पालना में चूककर्ता होने पर प्रार्थी बैक द्वारा ऋणी व जमानती के उक्त ऋण खाते को गैर निष्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर समस्त देय ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस देकर बकाया राशि मय ब्याज हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी राशि जमा नहीं कराई गई है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूति स्वरूप रहन रखी गयी अपने स्वामित्व की सम्पति जो उपर वर्णित है, का कब्जा एंव इससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैक को दिलाया जावे।

3. हमने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को ऋण सुविधा के रूप के उपरोक्तानुसार ऋण दिया। उक्त ऋण के बदले इकरारनामा व उससे सम्बन्धित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये। अप्राथीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया गया। इस पर बैक ने खाते को एन.पी.ए घोषित किया व अप्रार्थीगण/ऋणी के ऋणी खाते में रूपये 13,08,890/- दिनांक 02.04.2018 तक ब्याज सहित बकाया होना बताया। जमानती एंव ऋणी द्वारा इकरारनामा की शर्तो की पालना में चूककर्ता होने पर प्रार्थी बैक द्वारा ऋणी व जमानती के उक्त ऋण खाते को गैर निष्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर समस्त देय ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2018 को बकाया राशि मय ब्याज हेतु नोटिस दिया गया नोटिस को चस्पा भी करवाया गया। नोटिस देने एंव चस्पांदगी के पश्चात् भी अप्रार्थीगण ने बैक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। The securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act 2002की धारा

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Scanned by CamScanner

14 में उक्त रहन की गई सम्पति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई उक्त वर्णित सम्पति को अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये पुलिस अधीक्षक बाड़मेर,प्रार्थी बैंक को संभलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एव प्रार्थी बैंक को आवश्यक कार्यवाही एंव पालनार्थ प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को सुनाया गया।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Scanned by CamScanner